न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 233/2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या 413/2024

---

1. ओम यादव उर्फ ओम शैलेन्द्र यादव, पिता शैलेन्द्र यादव, उम्र करीब 23 वर्ष,
साकिन–मोंदी थाना–पण्डारक, जिला–पटना एवं
2. धनेश कुमार, पिता सियाराम राय, उम्र करीब 23 वर्ष,
साकिन तेजा बीघा, थाना–बख्तियारपुर, जिला पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री विकास कुमार,
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

18.04.2026 आवेदक अभियुक्त 1. ओम यादव उर्फ ओम शैलेन्द्र यादव एवं 2. धनेश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद अथमलगोला थाना कांड संख्या 413/2024, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नही किया है तथा अभियोजन कथानक पूरी तरह से झूठा एवं मनगढ़ंत है। उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद के कारण गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत् झूठा मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज किया है। प्रस्तुत वाद में धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं। इस वाद में अभियुक्त प्रमोद यादव एवं रंधीर यादव को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 105/25 दिनांक 17.03.25 को जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बाढ़ के द्वारा दिया गया है। आवेदक अभियुक्तगण स्थानीय लोग हैं, इसलिए इन्हें फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि, इस वाद के सूचक सचिन कुमार हैं। इन्होंने लिखित आवेदन थाना प्रभारी अथमलगोला को दिया है, जिसमें कहा है कि दिनांक 17.12.2024 को 4 बजे शाम में अपने खेत टाल में गेहूं का फसल में पानी पटवन कर रहे थे। उसी समय प्रमोद यादव, रंधीर यादव एवं सुबोध यादव एवं अन्य दो लड़का के साथ सूचक के खेत पर आये और आकर सूचक को गाली–गलौज करने लगा, जिसपर सूचक के द्वारा मना किया गया तो वे लोग सूचक के साथ मारपीट किया। मारपीट के कम में प्रमोद यादव सूचक को लाठी से पूरे शरीर में मारकर अधमरा कर दिया। उनके मार से सूचक के पूरे शरीर में काफी दर्द है। इसके बाद हल्ला सुनकर आसपास के लोग आने लगे तो वे लोग दहशत फेलाने हेतू देशी कट्टा से फायरिंग करते हुये भाग गये। मारपीट के कम में

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 233 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या 413 / 2024

लगातार
18.04.2026

वे लोग सूचक के गले से सोने का लॉकेट छीन लिये, जिसका कीमत करीब 20,000 रूपया है। झगड़ा का कारण गली का विवाद है। सूचक के द्वारा अथमलगोला में ईलाज कराया गया, उसके उपरांत एक्स–रे हेतु अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ भेजा गया।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण अप्राथमिकी अभियुक्त है। अभियुक्तों का नाम कांड दैनिकी के पारा–2 में वादी के पुनः बयान में आया है। प्राथमिकी के अनुसार इस वाद के सह अभियुक्तों द्वारा दो उक्त अभियुक्तों के साथ मिल कर सूचक के खेत में जाकर उसे गाली–गलौज करने एवं सह अभियुक्त प्रमोद यादव द्वारा लाठी से मारकर जख्मी कट्टा से फायरिंग करते हुए धमकी देने तथा सोने का लॉकेट छीन लेने का आरोप है। पारा–2 में वादी ने पुनः बयान में प्राथमिकी में वर्णित दो अज्ञात अभियुक्तों के संदर्भ में आवेदक अभियुक्तों का नाम बताया है जो घटना में सम्मिलित हैं। कांड दैनिकी के पारा–9, 10 एवं 11 में साक्षियों ने भी आवेदक अभियुक्तों के घटना में सम्मिलित होने की बात कहा है। पारा–21, 22 में साक्षी प्रताप यादव एवं शैलेन्द्र यादव ने भी आवेदक अभियुक्तों के घटना में सम्मिलित होने की बात कहा है, परन्तु पारा–23 में साक्षी अजय कुमार ने आवेदक अभियुक्त को घटना में सम्मिलित होने की बात नहीं कहा है। पारा–41 में पर्यवेक्षण टिप्पणी में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मामला सत्य पाया गया है। पारा–57 में आवेदक अभियुक्तों का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात का वर्णन है। आवेदक अभियुक्तों पर मारपीट का कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक अभियुक्तों का नाम प्राथमिकी में पूर्व में नहीं था, पश्चात् में उनका नाम वादी के कहने पर आया है। इस वाद के मुख्य अभियुक्त जिन पर मारपीट का विशिष्ट आरोप था उन्हें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय बाढ़ के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 105 / 2025 के द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है।

वाद के तथ्यो व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदक अभियुक्त 1. ओम यादव उर्फ ओम शैलेन्द्र यादव एवं 2. धनेश कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। आवेदक अभियुक्तगण को 30 दिनों के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित / शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ